

## अध्याय II

### वाणिज्यिक प्रशिक्षण या कोचिंग सेवा पर सेवा कर

#### 2.1 प्रस्तावना

लगभग प्रत्येक छोटे और बड़े/मैट्रो शहरों में कोचिंग सेंटर मौजूद हैं और प्रति वर्ष ये बढ़ रहे हैं। इस सेवा से प्राप्त सेवा कर राजस्व विव13 में ₹ 880.09 करोड़ से वि.व 16 में ₹ 1,950.08 करोड़ तक बढ़ा है जिससे यह स्पष्ट है कि कोचिंग सेंटर का कारोबार प्रतिदिन बढ़ रहा है। विगत तीन वर्षों से इस सेवा की औसत वार्षिक वृद्धि दर केवल लगभग 21 प्रतिशत है जबकि प्राइवेट कोचिंग सेंटरों का कारोबार उक्त अवधि<sup>16</sup> के दौरान 35 प्रतिशत तक बढ़ने की उम्मीद थी। चूंकि, यह कार्यकलाप नकद आधार कारोबार है, इसलिए इसमें सरकार के सेवा कर राजस्व के रिसाव की सदा संभावना बनी रहती है।

#### 2.1.1 वाणिज्यिक प्रशिक्षण या कोचिंग सेवा संबंधित सेवा कर प्रावधान

वित्त अधिनियम, 1994 की धारा 65(26); जैसा कि इसमें समय-समय पर संशोधन किया गया है, 'वाणिज्यिक प्रशिक्षण या कोचिंग (सीटीसी)' को किसी सीटीसी सेंटर द्वारा प्रदान किये गये किसी प्रशिक्षण या कोचिंग के रूप में परिभाषित करती है। इसके अतिरिक्त, इस अधिनियम की धारा 65(27) के अनुसार, 'सीटीसी सेंटर' का अर्थ किसी प्रमाणपत्र सहित या रहित और कोचिंग या ट्यूटोरियल क्लास सहित, किसी कौशल या ज्ञान या किसी विषय पर पाठ या खेल के अतिरिक्त किसी क्षेत्र में ज्ञान प्रदान करने के लिए किसी संस्थान या सीटीसी उपलब्ध कराने वाली किसी संस्था से है।

इसके अतिरिक्त, अधिनियम की धारा 65(105) (जेडजेडसी) आगे प्रावधान करती है कि कर योग्य सेवा का अर्थ है किसी व्यक्ति को सीटीसी, जिसमें अन्य के साथ किसी भी नाम वाले किसी प्रशिक्षण या संस्थान जहां प्रतिफल के लिए प्रशिक्षण या कोचिंग दी जाती है, के संबंध में सीटीसी सेंटर द्वारा उपलब्ध कराई गई या कराई जाने वाली किसी सेवा से है।

<sup>16</sup> <http://assocharm.org./newsdetail.php?id=4050>

1 जुलाई 2012 से सभी सेवाएं जो नकारात्मक सूची (वित्त अधिनियम 1944 की धारा 166 घ) या छूट अधिसूचनाओं के रूप में छूट प्राप्त की गई हैं, को छोड़कर सेवा कर जाल में लाई गई थीं। वित्त अधिनियम 1994 की धारा 66बी कहती है कि सेवा कर सभी कर योग्य सेवाओं के मूल्य अर्थात् निर्दिष्ट की गई नकारात्मक सूची या छूट प्राप्त सेवाओं के अतिरिक्त, जो एक व्यक्ति से किसी दूसरे व्यक्ति द्वारा करयोग्य क्षेत्र में उपलब्ध या निर्दिष्ट रूप से इस ढंग से संग्रहीत कराने के लिए उपलब्ध है या सहमत है समय समय पर सरकार द्वारा अधिसूचित दर पर प्रभारित किया जाएगा। नकारात्मक सूची के अंतर्गत, शिक्षा क्षेत्र से संबंधित सेवाओं की सूची 1 जुलाई 2012 से जोड़ी गई है जिसमें सेवाओं की ये पद्धति शामिल हैं- (i) पूर्व स्कूल शिक्षा और उच्चतर माध्यमिक स्कूल या इसी के समकक्ष तक शिक्षा; (ii) इस समय लागू किसी कानून द्वारा मान्यता प्राप्त किसी योग्यता प्राप्त करने के लिए पाठ्यक्रम के किसी भाग के रूप में शिक्षा और (iii) अनुमोदित व्यावसायिक शैक्षिक पाठ्यक्रम के रूप में शिक्षा;

इस प्रकार, नकारात्मक सूची में शामिल नहीं की गई शिक्षा से संबंधित सेवाओं के रूप में जैसा कि नीचे दर्शाया गया है, उन पर सेवा कर लगता है:

- i. निजी शिक्षण (प्राइवेट ट्यूशन)
- ii. विदेश के कानून द्वारा मान्यता प्राप्त योग्यता प्राप्त करने के लिए निर्दिष्ट पाठ्यक्रम के भाग के रूप में शिक्षा
- iii. नियोजन सेवाएं
- iv. शैक्षिक संस्थाओं द्वारा उपलब्ध कराई गई अन्य सेवाएं जैसे कॉरपोरेट हाऊस/एमएनसी की भाँति संभावित नियोक्ताओं द्वारा कैंपस नियुक्तियाँ जिनके लिए शैक्षिक संस्थानों द्वारा फीस प्रभारित की जाती है।

1 जुलाई 2012 से लागू दिनांक 20 जून 2012 की अधिसूचना सं. 25/2012-एसटी द्वारा, निम्नलिखित कर योग्य सेवाएं समय-समय पर वित्त अधिनियम, 1994 की धारा 66बी के अंतर्गत उद्ग्राह्य पूर्ण सेवा कर से छूट प्राप्त हैं;

- (i) कला, संस्कृति या खेल से संबंधित मनोरंजनात्मक क्रियाकलापों में प्रशिक्षण या कोचिंग के रूप में सेवाएं
- (ii) (क) सहायक शैक्षिक सेवाएं; या (ख) अचल संपत्ति को किराये पर देना के रूप में सेवा कर से छूट प्राप्त शिक्षा के संबंध में किसी शैक्षिक संस्थान को या द्वारा उपलब्ध कराई गई सेवाएं।

**सहायक शैक्षिक सेवाएं-** का अर्थ है चाहे छात्रों या संकाय के लिए कौशल, ज्ञान, शिक्षा या पाठ्यक्रम विषय वस्तु के विकास या अन्य किसी ज्ञान-वर्धन क्रिया कलाप, के संबंध में कोई सेवा या कोई अन्य सेवा जैसे सामान्य रूप में स्वयं शैक्षिक संस्थान करते हैं परंतु जिसे ऐसे संस्थान में प्रवेश, परीक्षा आयोजित करने, सरकार द्वारा प्रायोजित मिड-डे-मील योजना के अंतर्गत छात्रों के लिए खान-पान या छात्रों के परिवहन, ऐसे संस्थान के अध्यापक या स्टाफ से संबंधित सेवाओं सहित अन्य किसी व्यक्ति से आऊटसोर्स सेवाओं के रूप में प्राप्त किया जा सकता है।

दिनांक 11 जुलाई 2014 की अधिसूचना सं. 6/2014-एसटी द्वारा 11 जुलाई 2014 से लागू निम्नलिखित सेवाएं सेवा कर उदग्रहण से छूट प्राप्त हैं।

- i. अपने छात्रों, अध्यापकों और स्टाफ को शैक्षिक संस्थान द्वारा प्रदान की गई सेवाएं और
- ii. निम्न के रूप में शैक्षिक संस्थानों को प्रदान की गई सेवाएं
  - क. छात्र, अध्यापक और स्टाफ का परिवहन;
  - ख. सरकार द्वारा प्रायोजित किसी मिड-डे मील योजना सहित खान-पान;
  - ग. ऐसे शैक्षिक संस्थानों में दी गई सुरक्षा या सफाई या हाऊस कीपिंग सेवाएं;
  - घ. ऐसे शैक्षिक संस्थानों में प्रवेश या परीक्षा लेने से संबंधित सेवाएं

## 2.2 लेखापरीक्षा उद्देश्य

इस लेखापरीक्षा का उद्देश्य निम्न पर यह आश्वासन प्राप्त करना था कि क्या:

- (i) कर आधार को बढ़ाने और कर अपवंचन खोजने के लिए विभाग द्वारा जारी निर्देशों का अनुपालन किया गया है।
- (ii) विभाग में स्थापित प्रक्रियाएं और अनुपालन सत्यापन तंत्र कर योग्य सेवाओं पर सेवा कर भुगतान और निवेश क्रेडिट की प्राप्ति सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त हैं।

### 2.3 लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र और सैम्पल

83 संयोजित कार्यकारी कमिशनरियां थीं जो देश में केंद्रीय उत्पाद शुल्क और सेवा कर दोनों और 22 विशिष्ट सेवा कर कार्यकारी कमिशनरियों से जुड़ी हैं। इस लेखापरीक्षा के उद्देश्य के लिए, हमने 18 कमिशनरियों और चयनित कमिशनरियों के अंतर्गत आने वाली 18 मंडलों और 40 रेंज को चुना। इसके अतिरिक्त, इसमें हमने वार्षिक लेखापरीक्षा योजना 2016-17 के अनुसार हमारी नियमित अनुपालन लेखापरीक्षा और एक स्थान पर इस विषय पर हमारी सभी आपत्तियों को सूचित करने के लिए पायलट स्टडी के दौरान इस विषय पर निष्कर्ष भी शामिल किये गये हैं।

हमने सूचना/रिकॉर्ड प्राप्त किये जिनके आधार पर कर आधार को विस्तृत, विशेष सेल के कार्य करने, अपंजीकृत सेवा प्रदाताओं की पहचान करने के लिए किये गये प्रयास, विवरणियों की संवीक्षा आदि पर बोर्ड के निर्देश के प्रचार के संदर्भ में विभागीय अधिकारियों की भूमिका की जांच लेखापरीक्षा द्वारा की जा सकती थी। परंतु कुछ सूचना चयनित कमिशनरियों द्वारा प्रस्तुत नहीं की गई, जिसने उस सीमा तक लेखापरीक्षा जांच के कार्यक्षेत्र को कम कर दिया।

लेखापरीक्षा के दौरान, हमने विस्तृत संवीक्षा/विस्तृत जांच के लिए 789 निर्धारितियों के रिकॉर्ड की मांग की परन्तु केवल 549 निर्धारितियों के संबंध में रिकॉर्ड प्राप्त हुए। इस प्रकार, 30 प्रतिशत निर्धारितियों के संबंध में रिकॉर्ड की लेखापरीक्षा द्वारा जांच नहीं की जा सकी।

### 2.4 लेखापरीक्षा निष्कर्ष

लेखापरीक्षा के दौरान, हमने कर आधार विस्तृत करने और विवरणी की संवीक्षा करने के संदर्भ में विभाग की कार्यप्रणाली में कमियां देखीं। हमने 1,005 अपंजीकृत निर्धारिती भी देखें जिसमें से 250 मामलों में, जहां हम निर्धारितियों

की आय की जांच कर सके थे, सेवा कर देयता ₹6.11 करोड़ बनती थी। इसके अतिरिक्त, हमने ₹88.26 करोड़ के राजस्व वाले पंजीकृत निर्धारितियों द्वारा सेवा कर के भुगतान न करने/कम भुगतान, सेनवैट क्रेडिट की अनियमित प्राप्ति, ब्याज का भुगतान न करने/कम भुगतान आदि के 179 मामले भी देखे।

हमारे द्वारा उल्लिखित 1,184 मामलों<sup>17</sup> में से 1056 मामलों में मंत्रालय ने बताया कि जीएसटी के कार्यान्वयन के कारण पुनः संरचना के मद्देनजर निर्धारितियों के क्षेत्राधिकार का पता लगाने के लिए प्रयास किये जा रहे थे। मंत्रालय को क्षेत्राधिकार को पता लगाने के लिए समयबद्ध कार्य योजना तैयार करनी चाहिए और इन मामलों की जांच करनी चाहिए ताकि इन मामलों के समय बाधित होने के संबंध में मांग से पहले राजस्व को सुरक्षित करना सुनिश्चित किया जा सके।

विस्तृत लेखापरीक्षा निष्कर्षों की नीचे तीन विस्तृत श्रेणियों में चर्चा की गई है:

- सेवा कर आधार को विस्तृत करना
- विभाग द्वारा विवरणियों की संवीक्षा
- सीएजी लेखापरीक्षा द्वारा चयनित निर्धारितियों के रिकॉर्ड की विस्तृत जांच

## 2.5 सेवा कर आधार को विस्तृत करना

जैसा कि पैरा 2.1 में पहले ही इंगित किया गया है इस क्षेत्र से सेवा कर में तदनुरूपी वृद्धि की तुलना में सीटीसी क्षेत्र में सेवा प्रदाताओं की काफी अधिक वृद्धि हुई थी। इसलिए, हमने विशेष सेल के सृजन और आय कर, निगमित मामलों के मंत्रालय (एमसीए) आदि जैसे अन्य स्रोतों से सूचना प्रयोग कर पंजीकृत निर्धारितियों की पहचान करने के लिए कर आधार को विस्तृत करने के लिए बोर्ड द्वारा जारी किये गये निर्देश की अनुपालन की विशेषतः जांच की। इस संबंध में बोर्ड के विस्तृत निर्देश और उक्त की लेखापरीक्षा जांच के परिणामों पर नीचे चर्चा की गई है:

---

<sup>17</sup> 1005 (अपंजीकृत निर्धारितियों) + 179 (भुगतान न करने/कम भुगतान आदि)

### 2.5.1 विभाग के क्षेत्रीय स्थापनाओं से बोर्ड निर्देशों का प्रचार

हमने सेवा कर आधार को विस्तृत करने और निचली इकाईयों द्वारा उन पर की गई कार्रवाई के संबंध में बोर्ड से प्राप्त अनुदेशों/निर्देशों के संबंध में रिकॉर्ड मांगे (नवंबर 2016 से दिसंबर-2017)। हमें बोर्ड निदेशों के प्रचार के प्रमाण नहीं मिले जो यह दर्शाता है कि सेवा कर आधार को विस्तृत करने के संबंध में बोर्ड के निदेश क्षेत्रीय स्थापनाओं को फैलाए नहीं गए थे जिसका विवरण नीचे दिया गया है:

- आठ कमिश्नरियों<sup>18</sup> ने सूचित किया कि मुख्य कमिश्नर/बोर्ड से न तो कोई निर्देश/निदेश प्राप्त हुए और न ही सीटीसी सेवा प्रदाताओं से संबंधित सेवा कर आधार को विस्तृत करने के संबंध छोटी इकाईयों को अग्रेषित किया गया।
- जबकि चंडीगढ़-II कमिश्नरी ने उत्तर दिया कि विभिन्न निदेश/निर्देश समय-समय पर निर्धारित आधार को विस्तृत करने के लिए कमिश्नर और मुख्य कमिश्नर द्वारा जारी किये गये थे, परन्तु चयनित मंडल और रेंज ने सूचित किया कि उनको ऐसे कोई निदेश प्राप्त नहीं हुए थे।
- मुख्य कमिश्नर, दिल्ली, कोलकता और चेन्नै और एसटी कमिश्नरी कोचीन, हैदराबाद-IV और हैदराबाद ने कर आधार को विस्तृत करने के लिए जारी किये गये निदेश/निर्देशों से संबंधित कोई रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं कराये। मुख्य कमिश्नर दिल्ली ने अक्टूबर 2014 में सेवा कर दिल्ली जोन की स्थापना को उत्तरदायी बताया।

इसके उत्तर में (अक्टूबर 2017) मंत्रालय ने बेंगलुरु पश्चिम (तत्कालीन बेंगलोर एसटी-I), उदयपुर और दिल्ली पूर्व (दिल्ली एसटी-III) कमिश्नरियों के उत्तर अग्रेषित किये। दिल्ली पूर्व कमिश्नरी ने सूचित किया कि न तो मुख्य कमिश्नर/बोर्ड से कोई निदेश/निर्देश प्राप्त हुए थे और न ही छोटी इकाईयों को अग्रेषित किये गये थे। बेंगलुरु पश्चिम और उदयपुर कमिश्नरी द्वारा दिये गये

<sup>18</sup> अहमदाबाद एसटी, दिल्ली एसटी-II, चंडीगढ़, लखनऊ मुंबई एसटी-VII, पुणे एसटी, बेंगलोर एसटी-II, और नोयडा एसटी

उत्तर बोर्ड से प्राप्त निर्देशों के प्रभार पर लेखापरीक्षा आपत्ति से संबंधित नहीं थे। मंत्रालय का उत्तर अन्य कमिश्नरियों के संबंध में मौन था।

### 2.5.2 विशेष सेल का कार्यचालन

बोर्ड निर्देशों के अनुसार, संभावित निर्धारितियों की पहचान करने के कार्य के लिए प्रत्येक कमिश्नरी में एक विशेष सेल का सृजन किया जाना चाहिए। इस सेल को विभिन्न सेवा प्रदाताओं के संघ, येलो पेज, स्थानीय प्रकाशनों, अखबार में विज्ञापन, प्रादेशिक पंजीकरण प्राधिकारणों, वेबसाइट, नियामक निकाय, राज्य सरकार विभाग, आयकर विभाग, आरबीआई आदि से सेवा प्रदाता की सूची एकत्र करनी चाहिए और अपंजीकृत सेवा प्रदाताओं की पहचान करनी चाहिए तथा उनका पंजीकरण किया जाना चाहिए। इसके अतिरिक्त यदि आवश्यकता हो तो स्थानीय बाजार, मॉल में भी सर्वेक्षण किया जाय। प्रत्येक कमिश्नरी को प्रत्येक वित्त वर्ष में राजस्व संग्रहण का लक्ष्य दिया जाता है।

चयनित कमिश्नरियों में हमने जांच की (नवंबर 2016 और फरवरी 2017 के बीच) कि क्या बोर्ड के निर्देशों के अनुपालन के अनुसार विशेष सेल का सृजन किया गया था। बेंगलूर एसटी-1 और दिल्ली एसटी-111। कमिश्नरियों ने अपने उत्तर नहीं भेजे। अन्य सभी कमिश्नरियों ने बताया (जनवरी से फरवरी 2017) कि कमिश्नरियों में विशेष सेल का सृजन नहीं किया गया था। तथापि उनमें से अधिकतर ने बिना कोई सहायक रिकॉर्ड दिये आगे बताया कि अपवंचन-रोधी इकाई उसे देख रही थी। कर आधार को विस्तृत करना राजस्व संग्रहण में वृद्धि करने और लक्ष्य प्राप्त करने का एक महत्वपूर्ण तरीका है। इसलिए, हमने चयनित कमिश्नरियों के लिए निर्धारित लक्ष्यों की जांच करने का प्रयास किया। तथापि, किसी भी कमिश्नरी ने उच्चतर अधिकारियों द्वारा निर्धारित किये गये कर आधार के लिए लक्ष्यों के संबंध में कोई सूचना प्रस्तुत नहीं की।

मंत्रालय ने अपने उत्तर में (अक्टूबर 2017) बेंगलुरु पश्चिम (तत्कालीन बेंगलूर एसटी-1) और दिल्ली पूर्व (तत्कालीन दिल्ली एसटी-111) कमिश्नरियों के उत्तर अग्रेषित किये। बेंगलुरु पश्चिम कमिश्नरी ने सूचना दी कि, विशेष सेल के स्थान पर एक डाटा प्रबंधन सेल का गठन किया गया था, जिसने सीबीडीटी से तीसरी पार्टी के डाटा को संभाला। दिल्ली पूर्व कमिश्नरी ने सूचित किया कि

विशेष सेल, स्टाफ की कमी के कारण सृजित नहीं किया गया था। मंत्रालय का उत्तर निर्धारित लक्ष्यों पर सूचना न भेजने पर मौन था।

इस प्रकार, जैसा कि बोर्ड द्वारा परिकल्पना की गई थी, विशेष सेल विद्यमान नहीं थे अथवा कार्यात्मक नहीं थे।

### 2.5.3 कर आधार विस्तृत करने के लिए आय कर डाटा का उपयोग करना

सीबीडसी ने महानिदेशक सेवा कर (डीजीएसटी) (अब डीजी जीएसटी) को एक या अन्य प्रकार की सेवाएँ प्रदान करने वाले और एक वर्ष में ₹ 10 लाख से अधिक आय वाले व्यक्तियों पर कि क्या वे विभाग के पास पंजीकृत थे या अपनी विवरणियां भर रहे थे या उनके विवरणियां में उचित मूल्य घोषित किया गया था; आय कर प्राधिकरण से सूचना मंगाने की जिम्मेदारी सौंपी है। इस मामले में सभी चूककर्ता मामले क्षेत्राधिकार सेवा कर प्राधिकरण को आगे की कार्रवाई हेतु अग्रेषित किये जाने थे।

हमने चयनित कमिश्नरियों से आय कर विभाग की सूचना के आधार पर डीजीएसटी से चूककर्ता मामलों के विवरण मांगे। प्रतिक्रिया स्वरूप, छः कमिश्नरियों<sup>19</sup> ने उत्तर दिया कि ऐसी कोई सूचना/डाटा लेखापरीक्षा के दौरान डीजीएसटी से प्राप्त नहीं हुआ था। आठ कमिश्नरियों<sup>20</sup> ने सूचना दी (जनवरी से फरवरी 2017) कि आयकर विभाग से प्राप्त डाटा आवश्यक कार्रवाई करने हेतु छोटी इकाइयों को अग्रेषित किया गया था और सीटीसी से संबंधित कोई निर्धारिती नहीं देखा गया था।

मंत्रालय ने अपने उत्तर में बेंगलूरु पश्चिम (तत्कालीन बेंगलूरु एसटी-1) दिल्ली पूर्व (तत्कालीन दिल्ली एसटी-111) तथा कोलकाता एसटी 1 तथा 11 कमिश्नरियाँ के उत्तर (अक्टूबर 2017) भेजे। बेंगलूरु पश्चिम कमिश्नरी ने सूचित किया कि कर आधार बढ़ाने के लिए डाटा प्राप्त करने के लिए आयकर विभाग की सहायता ली जाएगी। कोलकाता एसटी-1 तथा एसटी 11 कमिश्नरियों ने बताया कि कर आधार बढ़ाने के लिए आयकर डाटा का उपयोग करने के लिए उपयुक्त अनुदेश थे। दिल्ली पूर्व कमिश्नरी ने सूचित किया कि एक वर्ष में

<sup>19</sup> अहमदाबाद एसटी, कोचीन, दिल्ली एसटी-11, लखनऊ, चंडीगढ़-11 और नोयडा एसटी।

<sup>20</sup> चंडीगढ़-1, उदयपुर, मुंबई एसटी-VII चेन्नै एसटी-11, हैदराबाद-IV, हैदराबाद एसटी, बेंगलूरु एसटी-11 और पुणे एसटी।



10 लाख से अधिक आय से संबंधित सेवा वाले आयकर निर्धारिती की कोई सूचना/डाटा डीजीएसटी से प्राप्त नहीं हुआ था।

मंत्रालय ने सीएजी लेखापरीक्षा द्वारा सूचित महत्वपूर्ण मुद्दे के लिए अपनी प्रतिक्रिया दिए बिना केवल क्षेत्रीय फोर्मेशन की विभिन्न प्रतिक्रियाओं को भेजा।

#### **2.5.4 आन्तरिक लेखापरीक्षा कक्ष/कमिश्नरी द्वारा अपंजीकृत सेवा प्रदाताओं की पहचान**

केन्द्रीय उत्पाद शुल्क तथा सेवा कर लेखापरीक्षा नियमपुस्तक 2015 के पैरा 6.11.12 के अनुसार, आन्तरिक लेखापरीक्षा दल (आईएपी) आन्तरिक लेखापरीक्षा के लिए चयनित निर्धारिती की लेखापरीक्षा के दौरान उन सभी सेवा प्रदाताओं के रिकार्ड संगृहीत करने थे जिन्होंने चयनित निर्धारिती को 10 लाख से अधिक की कर योग्य सेवा प्रदान की थी परन्तु सेवा कर प्रभारित नहीं किया था तथा उस को आन्तरिक लेखापरीक्षा कक्ष/लेखापरीक्षा कमिश्नरी को प्रस्तुत किया जिसने उसे आगे संबंधित कमिश्नरी को भेजा।

हमने चयनित कमिश्नरी से पूछताछ की कि क्या तत्कालीन कमिश्नरी अथवा लेखापरीक्षा कमिश्नरी के आन्तरिक लेखापरीक्षा विंग ने पंजीकृत निर्धारितियों की लेखापरीक्षा के दौरान उनके द्वारा अभिज्ञात अपंजीकृत सेवा प्रदाताओं के संबंध में कभी सूचना अग्रेषित की थी। प्रतिक्रिया में, 13 कमिश्नरियों<sup>21</sup> ने उत्तर दिया कि सीटीसी सेवा प्रदाताओं के संबंध में कोई भी सूचना कार्यकारी कमिश्नरी को नहीं भेजी गई थी। इसके अलावा, चण्डीगढ़-II कमिश्नरी ने बताया कि आन्तरिक लेखापरीक्षा कक्ष से चार निर्धारितियों की एक सूची प्राप्त हुई जो पंजीकृत किये गए थे। तथापि लेखापरीक्षा ने विभाग द्वारा लेखापरीक्षा को प्रस्तुत सेवा कर निर्धारिती डाटा बेस में इन चार निर्धारितियों को नहीं पाया। चार कमिश्नरियों<sup>22</sup> ने अपना उत्तर नहीं भेजा।

मंत्रालय ने अपने उत्तर (अक्टूबर 2017) में कोलकाता एसटी-I तथा एसटी II, बेंगलूरु एसटी-I (तत्कालीन बेंगलूरु एसटी-1) तथा दिल्ली पूर्व (तत्कालीन दिल्ली

<sup>21</sup> अहमदाबाद एसटी, बेंगलूरु एसटी-II, चंडीगढ़-I, चैन्ने एसटी-II, कोचीन, दिल्ली एसटी-II, हैदराबाद-IV, हैदराबाद एसटी, लखनऊ, मुम्बई एसटी-VII, नोएडा एसटी, पूर्ण एसटी और उदयपुर

<sup>22</sup> बेंगलूरु एसटी-I, दिल्ली एसटी-III और कोलकाता एसटी-I एवं II

एसटी-III) कमिश्नरियों के उत्तरों को भेजा। दिल्ली पूर्व तथा बेंगलूरू पश्चिम कमिश्नरियों ने बताया कि सीटीसी सेवा प्रदाताओं के संबंध में कोई भी सूचना कार्यकारी कमिश्नरी को नहीं भेजी गई थी। कोलकाता एसटी-I एवं II कमिश्नरियों ने बताया कि यह मामला लेखापरीक्षा कमिश्नरी से संबंधित है।

इस प्रकार मंत्रालय ने लेखापरीक्षा द्वारा उठाए गए प्रणालीगत चूक पर ध्यान दिये बिना केवल कमिश्नरियों से प्राप्त उत्तरों को भेजा।

### 2.5.5 सीएजी लेखापरीक्षा द्वारा स्वतंत्र सत्यापन

आन्तरिक लेखापरीक्षा में सत्यापित निर्धारितियों के आयकर डाटा/रिकार्ड्स का प्रयोग करते हुए सीटीसी क्षेत्र के अपंजीकृत निर्धारितियों की पहचान करने के लिए विभाग द्वारा किए गए शून्य/बहुत कम प्रयासों के मद्देनजर हमने नीचे वर्णित भिन्न-भिन्न डाटाबेस से अपंजीकृत सेवा प्रदाताओं को स्वतंत्र रूप से सत्यापित करने के लिए प्रयास किया।

#### 2.5.5.1 कार्पोरेट मामलों (एमसीए) के मंत्रालय का डाटा

हमने एमसीए की वेबसाइटों पर उपलब्ध कम्पनियों/लिमिटेड देयता भागीदारी (एलएलपी) का डाटा तथा आयकर साईट से स्थायी लेखा संख्या (पैन) को डाउनलोड किया। इन पैन संख्याओं का उपयोग करते हुए, हमने विभाग के डाटाबेस से सत्यापित किया कि क्या संबंधित कंपनी/एलएलपी ने सेवा कर पंजीकरण प्राप्त किया था या नहीं। इस प्रक्रिया के दौरान, हमने देखा कि यद्यपि एमसीए के साथ पंजीकृत सीटीसी सेवाओं में सम्मिलित 613 सेवा प्रदाताओं ने सेवा कर विभाग के पास निर्धारिती के रूप में स्वयं को पंजीकृत नहीं किया।

हमने इनमें से कितनी अपंजीकृत कम्पनियों की प्रति वर्ष 10 लाख की सीमा से अधिक आय थी के निर्धारण के लिए आयकर विभाग से सीटीसी केन्द्रों के संबंध में डाटा की मांग की परन्तु वह प्रस्तुत नहीं की गई थी। इस प्रकार हम इन सभी मामलों में सेवा कर देयता निर्धारित नहीं कर सके।

इन 613 अपंजीकृत सेवा प्रदाताओं में से, 23 सेवा प्रदाताओं के मामलों में, हमने विव14 से विव16 की अवधि हेतु अहमदाबाद तथा जयपुर के कम्पनी रजिस्ट्रार (आरओसी) से डाटा संगृहीत किया जिससे सेवा कर देयता

(परिशिष्टII) की संभावना की विव14 से विव16 के दौरान अपने वित्त विवरण में ₹ 154.59 करोड़ का राजस्व दिखाया था। लेकिन विस्तृत सूचना के अभाव में, हम उनकी सेवा कर देयता की गणना नहीं कर सके।

जब हमने ध्यान दिलाया (नवंबर 2016 तथा मार्च 2017 के बीच में) 12 मामलों सहित 570 मामलों पर जिसमें आरओसी, अहमदाबाद का डाटा उपलब्ध कराया था, में मंत्रालय ने सेवा प्रदाता के वर्तमान पते जैसी सूचनाओं के लिए कहा। इसके अलावा 42 मामलों<sup>23</sup> में मंत्रालय ने बताया कि मामला जांच के अधीन था अथवा निर्धारिती का पता नहीं लगा था तथा एक मामले में बताया कि निर्धारिती ने पंजीकरण ले लिया था। क्या इन इकाईयों को विभाग के साथ पंजीकृत होना जरूरी था या नहीं, इसकी जांच के लिये एमसीए से अधिक जानकारी प्राप्त करने के बजाए मंत्रालय ने हम से अधिक जानकारी मांगी थी। यह स्पष्ट था कि एमसीए के माध्यम से कर बढ़ाने के प्रयासों तथा उसी मंत्रालय के अधीन आयकर विभाग का डाटाबेस प्रभावी रूप से काम नहीं कर रहा था। विभाग का इस ओर ध्यान न देने और विलंबित कार्रवाई के परिणामस्वरूप मांगों के काल बाधित होने के कारण राजस्व की हानि हो सकती है।

#### 2.5.5.2 अन्य तीसरी पार्टी स्रोत

बोर्ड के अनुदेशों के अनुसार, विभाग को विभिन्न सेवा प्रदाता संघों, येलो पेज स्थानीय प्रकाशन, समाचारपत्रों में प्रकाशित विज्ञापन, क्षेत्रीय पंजीकरण प्राधिकरण, वेबसाइट, विनियामक निकायों, राज्य सरकार विभागों, आयकर विभागों, आरबीआई आदि से सेवा प्रदाताओं की सूची संगृहीत करनी थी तथा अपंजीकृत सेवा प्रदाताओं की पहचान करना एवं उनको पंजीकृत करना था। यदि आवश्यक समझा जाए तो स्थानीय मार्केट,माल में भी सर्वेक्षण किया जाय।

हमने अन्य स्रोतों यानि विज्ञापनों (प्रिन्ट मीडिया) इन्टरनेट, वेबसाइट, यूजीसी, एआईसीटीई तथा आरबीआई आदि से सीटीसी केन्द्रों के संबंध में सूचना प्राप्त की। हम ने सेवा कर विभाग द्वारा उपलब्ध कराई गई पंजीकृत निर्धारितियों

<sup>23</sup> 7 मामलों सहित जिनमें डाटा सीएजी लेखापरीक्षा द्वारा आरओसी, जयपुर से प्राप्त किया गया था।

के डाटाबेस को पेन इंडिया के साथ उस की दुतरफा जांच की तथा पाया कि सीटीसी सेवाओं में लगे 120 सेवा प्रदाताओं<sup>24</sup> ने सेवा कर विभाग के पास स्वयं को पंजीकृत नहीं कराया था।

विशेष सेल के अभाव में तथा अपंजीकृत निर्धारितियों की पहचान करने के लिए इन स्रोतों की खोज करने के लिए विभाग द्वारा किये गए प्रयासों के संबंध में रिकार्डों की अनुउपलब्धता के परिणामस्वरूप, लेखापरीक्षा ने टिप्पणी नहीं की कि क्या अपना कर आधार बढ़ाने के प्रयासों के भाग के रूप में विभाग द्वारा ऐसे स्रोतों की जांच की गई थी।

हमने जब इसे बताया (नवंबर 2016 से मार्च 2017 तक) तो मंत्रालय ने यह कहते हुए 115 मामलों में कोई अन्तिम उत्तर नहीं दिया कि पश्च जीएसटी कमिश्नरी पुनर्गठन के कारण, निर्धारिती का क्षेत्राधिकार बदल गया था तथा फील्ड फोरमेशन सही अधिकार क्षेत्र का पता लगाने की कोशिश कर रहे थे और, पाँच मामलों में, बताया गया कि मामला जांच के अधीन है

मंत्रालय की अगली प्रतिक्रिया प्रतीक्षित थी (अक्टूबर 2017)।

### 2.5.5.3 जांचे गए निर्धारितियों के रिकार्डस से

चयनियत निर्धारितियों के सेवा कर रिकार्ड की संवीक्षा के दौरान, हमने देखा कि पांच कमिश्नरियों<sup>25</sup> के अधीन 23 निर्धारितियों ने 272 सेवा प्रदाताओं से सेवाएं प्राप्त की जिन्होंने एक वित्त वर्ष में नौ लाख की अवसीमा पार करने बाद भी स्वयं को सेवा कर विभाग के पास पंजीकृत नहीं कराया। इनमें में से 250 मामलों में जहाँ लेखापरीक्षित निर्धारिती के रिकार्डस से अभिज्ञात आय सेवा कर भुगतान की अवसीमा अर्थात दस लाख को पार कर गई अपवंचित का सेवा कर ₹ 6.11 करोड़ बनता था। 22 सेवा प्रदाताओं के शेष मामलों में जिनकी आय केवल लेखापरीक्षित निर्धारिती के साथ संव्यवहार से, नौ लाख से अधिक परन्तु दस लाख (सेवा कर के भुगतान की अवसीमा) से कम है, वहां उनकी कुल आय पर देय सेवा कर की संभावना से इन्कार नहीं किया जा सकता जिसकी विभाग को जांच करनी अपेक्षित थी।

<sup>24</sup> अहमदाबाद एसटी, चंडीगढ़-1, चैन्ने एसटी॥, दिल्ली-III

<sup>25</sup> बैंगलोर एसटी-1 और II, दिल्ली एसटी-II, और III, मुम्बई एसटी-VII

इसके अलावा ये सभी मामलें पांच कमिश्नरियों में लेखापरीक्षा द्वारा देखे गए थे जिनमें या तो बताया गया था कि सीसीटी से संबंधित आंतरिक लेखापरीक्षा द्वारा कोई भी इनपुटस नहीं भेजे गये थे अथवा आन्तरिक लेखापरीक्षा (देखें पैरा 2.5.4) से अपंजीकृत निर्धारितियों के संबंध में इनपुटस की प्राप्ति पर लेखापरीक्षा आपत्ति के लिए प्रतिक्रिया नहीं दी गई थी।

यह स्पष्ट रूप से आन्तरिक लेखापरीक्षा द्वारा संवीक्षित निर्धारितियों के रिकार्ड्स से सेवा प्रदाताओं को पहचानने के मौजूदा अनुदेशों का अननुपालन तथा राजस्व हानि के परिणामी जोखिम को स्थापित करता है।

जब हमने इसे बताया (नवंबर 2016 से फरवरी 2017) तब दिल्ली एसटी-॥ तथा ॥॥ कमिश्नरियों ने सूचित किया (मार्च 2017) कि 17 सेवा प्रदाताओं (लेखापरीक्षा द्वारा उल्लिखित 112 में से) ने सेवा कर पंजीकरण लिया था तथा सरकार को ₹ 43 लाख बकाया जमा कराया था।

मंत्रालय ने (अक्टूबर 2017) सेवा प्रदाताओं के वर्तमान क्षेत्राधिकार का पता लगाने के लिए सभी मामलों में अधिक जानकारी मांगी। मंत्रालय कार्यकारी कार्य हमसे पूरा करने की अपेक्षा करने के बजाय मंत्रालय यह सुनिश्चित करे कि क्षेत्रीय कार्यालय निर्धारिती अभिलेखों से सेवा प्रदाताओं की पहचान से संबंधित उसके निर्देशों का पालन करते हैं, के अलावा यह सत्यापित करने कि क्या सेवा प्रदाता विभाग के साथ पंजीकृत करने के दायी थे या नहीं, के लिए उन निर्धारितियों से आगे की सूचना संगृहीत करने के लिए अपने क्षेत्रीय कार्यालयों को अनुदेश देना अपेक्षित था।, इसके अलावा, दिल्ली एसटी ॥ तथा ॥॥ कमिश्नरियों ने हमारे द्वारा दिये गए इनपुटस पर आधारित वसूली सूचित की।

## 2.6 विवरणियों की संवीक्षा के सम्बन्ध में विभाग के निष्पादन का विश्लेषण

केन्द्रीय उत्पाद शुल्क तथा सेवा कर (एसीईएस) के स्वचालन प्रारम्भ के बाद, सिस्टस द्वारा स्वयं विवरणियों की प्रारम्भिक संवीक्षा की जा रही थी। प्रारम्भिक संवीक्षा का उद्देश्य जानकारी की पूर्णता, समय पर विवरणी का प्रस्तुतीकरण, समय पर शुल्क का भुगतान, शुल्क के रूप में संगणित राशि

की गणितीय सत्यता, सेनवैट क्रेडिट का अंत एवं अथ शेष आदि को सुनिश्चित करना था। रेंज अधीक्षक को समीक्षा एवं सुधार (आरण्डसी) तथा त्रुटियों में सुधार करना के लिए सिस्टम द्वारा चिन्हित की गई विवरणियों को सत्यापित करना और विवरणियों में संबंधित निर्धारिती से परामर्श करके त्रुटियों यदि कोई हो, में सुधार करना अपेक्षित था।

### 2.6.1 नॉन/स्टॉप फाइलर्स के प्रति कार्रवाई न करना

हमने (अक्टूबर 2016 से फरवरी 2017) नॉन/स्टॉप फाइलर्स के विवरण की तथा 18 कमिश्नरियों के चयनित रेंजस से चूककर्ताओं के विरुद्ध की गई कार्रवाई की मांग की। आठ कमिश्नरियों<sup>26</sup> से कोई भी प्रतिक्रिया प्राप्त नहीं हुई थी तथा 10 कमिश्नरियों<sup>27</sup> ने उत्तर दिया कि विव13 से विवत 16 के दौरान इस क्षेत्र के संबंध में निर्धारितियों द्वारा 12,571 देय विवरणियों में से 5,821 विवरणियांस (46.30 प्रतिशत) फाइल नहीं की गई थी। इनमें से, केवल पांच कमिश्नरियों (कोचीन, दिल्ली एसटी-II, कोलकाता एसटी-I एवं II तथा उदयपुर) ने चूक करने वाले निर्धारितियों पर कार्रवाई आरंभ की। इसके अलावा, पुणे एसटी कमिश्नरी में, हमने एसीईएस डाटा की जांच की कि सभी सेवाओं के लिए निर्धारितियों द्वारा 24688 देय विवरणियांस में से 14,163 विवरणियांस (57.37 प्रतिशत) फाइल नहीं की गई थी परन्तु इन नान फाइलर्स पर कोई भी कार्रवाई नहीं की गई थी।

मंत्रालय ने अपने उत्तर (अक्टूबर 2017) में पाँच कमिश्नरियों की प्रतिक्रियाओं को भेजा था। प्रधान आयुक्त, कोचीन ने बताया कि रेंज अधिकारियों को नॉन/स्टॉप फाइलर्स के विरुद्ध कार्रवाई आरंभ करने का निर्देश दिया गया था। बेंगलोर एसटी-I तथा एसटी II कमिश्नरी ने बताया कि मामला जांच के अधीन है। दिल्ली पूर्व (तत्कालीन दिल्ली एसटी-III कमिश्नरी) ने बताया कि चूककर्ता निर्धारितियों के विरुद्ध कार्रवाई आरम्भ की गई थी। मुम्बई एसटी-VII ने बताया कि कमिश्नरी पश्च जीएसटी पुनर्गठन के कारण, निर्धारिती का अधिकार क्षेत्र बदल गया था तथा सही क्षेत्राधिकार पता लगाने

<sup>26</sup> कोचीन, दिल्ली एसटी-III, मुम्बई एसटी-VII, पूणे एसटी, नोएडा एसटी, अहमदाबाद एसटी और बेंगलोर एसटी-I और II

<sup>27</sup> चंडीगढ़-I और II, चैन्ने एसटी-II, दिल्ली एसटी-II, हैदराबाद-IV, हैदराबाद एसटी, कोलकाता एसटी-I और II, लखनऊ और उदयपुर

के लिए प्रयास किया जा रहा था। अन्य कमिश्नरियों पर मंत्रालय का उत्तर मूक था।

### 2.6.2 देर से भरी गई विवरणियांस पर लंबित शुल्क की उगाही न करना

सेवा कर नियमावली, 1994 का नियम 7सी प्रावधान करता है कि यदि विवरणियां देय तिथि के बाद फाईल की जाती हैं तो, उपरोक्त विवरणियां प्रस्तुत करने के लिए दायी व्यक्ति को अधिनियम की धारा 70 में निर्दिष्ट एक अधिकतम सीमा के अध्यक्षीन केंद्र सरकार को क्रेडिट करने के लिए बिलंब शुल्क का भुगतान करना होगा जो ₹ 20,000/- पर निर्धारित किया गया था।

हमने 18 कमिश्नरियों की चयनित रेंज से उन निर्धारितियों जिन्होंने अपनी विवरणियांस देय तिथि के बाद फाईल की थी तथा विलंब से भरने के विरुद्ध की गई कार्रवाई का विवरण उपलब्ध कराने का अनुरोध किया। प्रतिक्रिया में, 12 कमिश्नरियों<sup>28</sup> ने उत्तर दिया (मार्च 2017) कि विव13 से विव16 के दौरान देय 37,079 एसटी-3 विवरणियांस में से, 1,138 विवरणियां देय तिथि के बाद फाईल की गई थी। इनमें से केवल छह कमिश्नरियों<sup>29</sup> ने चूककर्ता निर्धारितियों पर विलंब शुल्क की उगाही के लिए कार्रवाई आरंभ की। छह कमिश्नरियों<sup>30</sup> से कोई भी प्रतिक्रिया प्राप्त नहीं हुई।

मंत्रालय ने अपने उत्तर (अक्टूबर 2017) में पाँच कमिश्नरियों (बेंगलोर एसटी-I तथा II, चण्डीगढ़-II, कोचीन तथा दिल्ली एसटी-III) के उत्तरों को भेजा जिसमें बताया गया था कि सीएजी की सूचना पर आधारित विलंब फाइलर्स के विरुद्ध कार्रवाई की जा रही थी। अन्य कमिश्नरियों पर मंत्रालय का उत्तर मूक था।

इस प्रकार नमूना जांचित केवल एक तिहाई कमिश्नरियों ने चूककर्ता निर्धारितियों पर विलंब शुल्क की उगाही के लिए अपने आप कार्रवाई की थी।

<sup>28</sup> अहमदाबाद एसटी, चंडीगढ़-I, चैन्ने एसटी-II, दिल्ली एसटी-II, हैदराबाद-IV, हैदराबाद एसटी, कोलकाता एसटी-I और II, लखनऊ, मुम्बई एसटी-VII पूणे एसटी और उदयपूर

<sup>29</sup> अहमदाबाद एसटी, दिल्ली एसटी-II, कोलकाता एसटी-I और II, पूणे एसटी और उदयपूर

<sup>30</sup> चंडीगढ़ II, दिल्ली एसटी-III, नोएडा एसटी, कोचीन, बैंगलोर एसटी-I और II

### 2.6.3 समीक्षा एवं सुधार (आरण्डसी) हेतु चिन्हित विवरणियों पर कार्रवाई न करना

एसीईएस में, एक बार विवरणी अपलोड हो जाती है तो सॉफ्टवेयर उनकी सही सूचना जैसे कि पंजीकरण संख्या<sup>31</sup>, वर्गीकरण, अधिसूचना, शुल्क की दर, शुल्क भुगतान के लिए प्रयुक्त चालान आदि की जांच करता है। कोई भी कमी जिसका सिस्टम द्वारा समाधान नहीं किया गया है, को आरण्डसी के लिए समीक्षा अधिकारी की स्क्रीन पर भेजा जाता है। विवरणियां समय-समय पर बोर्ड द्वारा जारी अनुदेशों के आधार पर जोखिम मानदंडों से गुजरती है तथा जोखिम भरी है अथवा नहीं के रूप में चिन्हित की जाती है। एसी/डीसी आगे की कार्रवाई जैसे युनिट को लेखापरीक्षा के लिये चुनना अथवा अपवंचन रोधी प्रक्रिया आदि पर निर्णय ले सकता है।

हमने 18 चयनित कमिश्नरियों से एससीईएस द्वारा आरण्डसी के लिए चिन्हित विवरणियां तथा इन विवरणियों पर रैंज द्वारा की गई कार्रवाई के विवरण उपलब्ध कराने की मांग (अक्टूबर 2016 तथा फरवरी 2017) की चार कमिश्नरियों<sup>32</sup> ने सूचित किया कि आरण्डसी के लिए 3,908 विवरणियां चिन्हित की गई थी जिनमे से विभाग ने केवल 84 विवरणियां पर कार्रवाई की। इस प्रकार, चिन्हित में से 98 प्रतिशत के द्योतक 3,824 विवरणियां लंबित थे। शेष कमिश्नरियों ने अपेक्षित सूचना नहीं भेजी।

मंत्रालय ने अपने उत्तर (अक्टूबर 2017) में चेन्नई एसटी-॥, दिल्ली एसटी ॥, लखनऊ तथा पूणे एसटी कमिश्नरियों की प्रतिक्रिया भेजी। चेन्नई एसटी-॥, दिल्ली एसटी-॥ कमिश्नरी ने बताया कि जीएसटी के कार्यान्वयन के कारण, नए अधिकार क्षेत्र का अभी पता लगाया जा रहा था तथा उपयुक्त कार्रवाई की जाएगी। पूणे एसटी कमिश्नरी ने तथ्यों को स्वीकारते हुए एसीईएस की खराब संरचना को लंबितता के लिए जिम्मेदार ठहराया। लखनऊ कमिश्नरी ने सीएजी लेखापरीक्षा टीम से विव14 से विव16 के लिए एसटी-3 विवरणियां के संबंध में विशिष्ट विवरण की मांग की। अन्य कमिश्नरियों पर मंत्रालय का उत्तर मूक था।

<sup>31</sup> केवल उन्ही रिटर्न्स के लिए जो ऑफलाईन यूटिलिटी से भरी जाती है।

<sup>32</sup> चेन्ने एसटी-॥, दिल्ली एसटी-॥, पूणे एसटी और लखनऊ



इस प्रकार मंत्रालय ने महत्वपूर्ण आरण्डसी तंत्र की असफलता पर कोई राय नहीं ली तथा केवल कुछ कमिश्नरियों से प्राप्त प्रतिक्रियाओं को भेज दिया।

#### 2.6.4 विवरणियों की विस्तृत संवीक्षा

बोर्ड परिपत्र सं. 185/4/2015- सेवा कर दिनांक 30 जून 2015 के द्वारा विस्तृत संवीक्षा, के लिए युनिटों के चयन विस्तृत संवीक्षा करने तथा उसके परिणाम सूचित करने की प्रक्रिया आदि के संबंध में दिशानिर्देश जारी किये।

लेखापरीक्षा के लिए चयनित 18 कमिश्नरियों में से, 11 कमिश्नरियों<sup>33</sup> ने विव13 से विव16 के लिए विवरणियों की विस्तृत संवीक्षा पर सूचना प्रस्तुत नहीं की। हम ने सात कमिश्नरियों<sup>34</sup> जिन्होंने लेखापरीक्षा अवधि के दौरान विस्तृत संवीक्षा के लिए चयनित कुल 1,409 विवरणियों में से, विस्तृत संवीक्षा पर अपेक्षित सूचना प्रदान की, में देखा कि विस्तृत संवीक्षा केवल 473 (34 प्रतिशत) निर्धारितियों के संबंध में विभाग द्वारा संचालित की गई थी। हमने देखा कि विस्तृत संवीक्षा के लिए चिह्नित सीटीसी सेवाओं की 43 विवरणियों में से केवल 17(40 प्रतिशत) मामलों में संवीक्षा की गई थी।

हमने इसे बताया (नवंबर 2016 तथा फरवरी 2017 के बीच में) तब उदयपुर कमिश्नरी ने बताया कि सितंबर 2015 तक विस्तृत संवीक्षा करने के लिए कोई तंत्र नहीं था तथा दिल्ली एसटी-॥ कमिश्नरी की चयनित रेंजो ने उत्तर दिया कि कर्मचारियों की कमी के कारण विस्तृत संवीक्षा नहीं की गई थी।

मंत्रालय ने अपने उत्तर (अक्टूबर 2017) में यह सूचित करते हुए कि पाँच कमिश्नरियों<sup>35</sup> में कार्रवाई आरम्भ की गई थी/की जाएगी तथा तीन कमिश्नरियों<sup>36</sup> में स्टॉफ की कमी तथा युनिटों के आबंटन न होना ठहराकर आठ कमिश्नरियों के उत्तर भेजे। शेष कमिश्नरियों के संबंध में उत्तर प्रतीक्षित था।

<sup>33</sup> अहमदाबाद एसटी, बैंगलोर एसटी- I और II, चंडीगढ़-॥ कोचीन, दिल्ली एसटी-॥ और III लखनऊ, मुम्बई एसटी-VII, नोएडा एसटी और पुणे एसटी

<sup>34</sup> चंडीगढ़- I, चैन्ने एसटी-॥, हैदराबाद-IV, हैदराबाद एसटी, कोलकाता एसटी- I और II और उदयपुर

<sup>35</sup> चंडीगढ़ I और II, कोचीन, बैंगलोर एसटी- I और II

<sup>36</sup> दिल्ली एसटी- II और III और पूणे एसटी

## 2.7 सीएजी लेखापरीक्षा द्वारा चयनित निर्धारितियों के रिकार्डस की विस्तृत जाँच

निर्धारितियों के रिकार्डस की जाँच के दौरान देखे गए निष्कर्ष जैसा आगामी पैराग्राफों में बताया गया विभाग द्वारा इस क्षेत्र में निर्धारितियों की विस्तृत संवीक्षा न करने के प्रभाव को दर्शाते हैं:

### 2.7.1 सेवा प्रदाताओं द्वारा सेवा कर की अदायगी न करना

निर्धारितियों के रिकार्डस की विस्तृत जाँच के दौरान, हमने ₹24.96 करोड़ के राजस्व वाले छूट के अनियमित लाभ उठाने, कर योग्य सेवा के अवमूल्यांकन आदि के 52 उदाहरण देखे, जिसकी लागू ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित थी। मंत्रालय ने 11 मामलों में लेखापरीक्षा आपत्तियों को स्वीकार किया तथा बताया कि मामला 41 मामलों में जाँच के अधीन है। अभी तक ₹21.49 लाख की वसूली सूचित की गई थी।

नीचे कुछ मामलों का वर्णन किया गया है:

#### 2.7.1.1 प्रत्यक्ष रूप से सेवा मूल्य को प्रभावी करने वाले अनुदानों पर सेवा कर का भुगतान न करना।

सेवा कर (मूल्य निर्धारण) नियमावली 2006 के नियम 6(2)(vii) के अनुसार, कर योग्य सेवा का मूल्य सेवा के मूल्य को प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित न करते हुए सरकार द्वारा वितरित आर्थिक सहायता तथा अनुदान की राशि को शामिल नहीं करता है।

मुम्बई एसटी-VII कमीशनरी में मैसर्स एमटी एजूकेयर लि., ने विभिन्न परीक्षाओं जैसे इंजीनियरिंग, मेडिकल, यूपीएससी, केपीएससी, कम्प्यूटर कोर्स आदि में बैठने के लिए जनजातीय समुदाय, अल्पसंख्यक के विद्यार्थियों के लिए प्रवेश परीक्षा/विशेष कोचिंग के लिए प्रशिक्षण प्रदान करने हेतु केंद्र सरकार के विभिन्न विभागों/संगठनों के साथ-साथ विभिन्न राज्य सरकारों, नगर निगमों से अनुदान प्राप्त किया। चूंकि विभिन्न पड़ावों को प्राप्त करने जैसे विद्यार्थियों के पंजीकरण, पाठ्यक्रम के आंशिक समापन अथवा पूर्ण समापन अथवा प्रति विद्यार्थी के शुल्क की की प्रतिपूर्ति के रूप में पहुँचने पर सरकार/सरकारी एजेन्सियों द्वारा अनुदान जारी किए गए थे इसलिए दिए गए

प्रशिक्षण/कोचिंग सेवा के मूल्य से अनुदान प्रत्यक्ष सम्बन्ध रखते थे तथा इस प्रकार सेवा कर के दायी थे। विव14 से विव16 के दौरान दिए गए प्रशिक्षण एवं कोचिंग के लिए प्राप्त कुल अनुदान ₹40.46 करोड़ था। वित्तीय रिकार्ड के साथ एसटी-3 विवरणियों के मिलान से पता चला कि निर्धारिती ने प्राप्त अनुदानों पर ब्याज सहित ₹7.40 करोड़ के सेवा कर का भुगतान नहीं किया। जब हमने इसे बताया (मार्च 2017) तब मंत्रालय ने बताया (अक्टूबर 2017) कि जीएसटी को ध्यान में रखते हुए पुर्नगठन के कारण निर्धारिती का अधिकार क्षेत्र बदल गया था और सही अधिकार क्षेत्र का पता लगाने के लिए प्रयास किये जा रहे थे।

#### 2.7.1.2 सेवा कर देयता निकालने के लिए प्रदान की गई सभी सेवाओं को ध्यान में न रखना

सेवा कर (मूल्य निर्धारण) नियमावली, 2006 के नियम 3(ए) के अनुसार मूल्यांकन निर्धारण समान सेवाओं के लिए सेवा प्रदाता द्वारा प्रभारित सकल राशि के आधार पर होगा। सेवा कर (मूल्य निर्धारण) का नियम 3 (बी) प्रावधान करता है कि यदि मूल्य नियम 3(ए) के आधार पर निर्धारित नहीं किया जा सकता है तो मूल्यांकन ऐसे प्रतिफल के समान धन मूल्य के आधार पर होगा जो ऐसी सेवाओं के प्रावधान की लागत से कम नहीं होगा।

मुम्बई एसटी VII कमिश्नरी में मैसर्स इनोवेटिव टेक्नालजी लर्निंग सर्विस लि., (आईटीएलएस), की विस्तृत संवीक्षा के दौरान, यह देखा गया कि मैसर्स युनवर्सिटा कमर्शियले “लुङ्गी बोक्कोनी” इटली की एक कम्पनी ने भारत में विदेशी डिग्री कोर्स प्रदान करने के लिए एक करार किया तथा इसके लिए मुम्बई में “नोलिज रिवाइवल एण्ड एक्सपेंशन ट्रस्ट” (केआरटी) नाम के एक न्यास की स्थापना की गई थी। इसके अतिरिक्त, केआरटी को सेवा प्रदान करने के लिए ‘इनोवेटिव टेक्नालजी लर्निंग सर्विस प्रा. लि.’, (आईटीएलएस) नाम की एक कम्पनी की स्थापना उसी परिसर में की गई थी। आईटीएलएस ने सेवा प्रदान करने जैसे शिक्षण सेवाएं, शिक्षण वीडियो की ई- लर्निंग टूल्स तैयार करने, मार्केटिंग तथा कम्प्यूनिकेशन, भर्ती एवं मार्गदर्शन, दाखिले आदि के लिए केआरटी के साथ एक करार किया। करार में आगे यह प्रावधान किया गया कि आईटीएलएस केआरटी को सेवाएं प्रदान करने के लिए मासिक आधार

पर इनवाँइस देगा तथा उस मामले में जो एसटी देय है, तो उसे केआरटी को अलग से प्रभारित किया जाना चाहिए। तथापि, लेखापरीक्षा में यह देखा गया कि आईटीएलएस ने केवल संकाय शुल्क के लिए केआरटी को प्रभारित किया तथा उसके लिए सेवा कर की देयता की। आईटीएलएस अन्य सेवाओं जैसे ब्रांड प्रमोशन, मार्केटिंग, विज्ञापन, व्यवसायिक समर्थित सेवाएं, व्यवसायिक सहायक सेवाएं, प्रतिभूति सेवाएं, हाऊस कीपिंग सेवाएं, विधिक एवं व्यावसायिक सेवाएं, सनदी लेखाकार सेवाएं आदि प्रदान करने के लिए केआरटी से कोई राशि प्रभारित नहीं कर रहा था। आईटीएलएस की स्थापना केवल न्यास को सेवा देने के लिए की गई थी तथा वास्तव में कम्पनी उसी कार्य को कर रही थी। जैसा की वार्षिक लेखा में देखा गया इस प्रकार विव14 से विव16 के दौरान कम्पनी में दर्ज सम्पूर्ण व्यय न्यास को प्रदान की गई सेवाओं के मूल्य के रूप में माना जाना था तथा न कि केवल संकाय शुल्क सम्पूर्ण लागत को प्रतिफल के रूप में समझने में चूक के परिणामस्वरूप ब्याज सहित ₹4.94 करोड़ के सेवा कर की कम उगाही हुई।

जब हमने इसे बताया (मार्च 2017) तब मंत्रालय ने बताया (अक्टूबर 2017) कि जीएसटी को ध्यान में रखते हुए पुनर्गठन के कारण, निर्धारिती का अधिकार क्षेत्र बदल गया था तथा सही अधिकार क्षेत्र का पता लगाने के लिए प्रयास किये जा रहे थे।

### 2.7.1.3 सेवा कर के भुगतान के लिए सकल मूल्य को न अपनाना

वित्त अधिनियम, 1994 की धारा 67(1) के अनुसार, कर योग्य सेवा का मूल्य सेवा प्रदाता द्वारा प्रभारित सकल राशि होगी।

उदयपुर कमिश्नरी में, मैसर्स मोशन एजुकेशन प्रा. लि. के अभिलेख की जांच के दौरान, यह देखा गया कि निर्धारिती फीस की सकल राशि के बजाय छात्रवृत्ति/रियायत/शुल्क माफी के समायोजन के बाद विद्यार्थियों से संगृहीत शुल्क की निवल राशि पर सेवा कर भुगतान कर रहा था। इसके परिणामस्वरूप विव16 के दौरान छात्रवृत्ति/रियायत/शुल्क माफी के प्रति समायोजित ₹ 5.17 करोड़ पर ₹ 72.45 लाख के सेवा कर का कम भुगतान हुआ। विव14 तथा विव15 के लिए सेवा कर के कम भुगतान की मात्रा को

निर्धारित नहीं किया जा सका क्योंकि हमें विवरण उपलब्ध नहीं कराए गए थे। कम प्रदत्त सेवा कर ब्याज सहित वसूली योग्य है।

जब हमने इसे बताया (जनवरी 2017) तब मंत्रालय ने सूचित किया (जनवरी 2017) कि एससीएन शीघ्र ही जारी किया जाएगा।

### **2.7.2 प्रति प्रभार/आंशिक प्रति प्रभार के अन्तर्गत सेवा कर का भुगतान न किया जाना**

निर्धारिती के रिकार्डों की विस्तृत जांच के दौरान हमने प्रति प्रभार/ आंशिक प्रति प्रभार प्रणाली के अन्तर्गत ₹ 3.69 करोड़ राजस्व के सेवा कर के भुगतान न किए जाने के 21 मामले देखे जो लागू ब्याज के साथ वसूली योग्य थे। मंत्रालय ने छः मामलों में लेखापरीक्षा आपत्तियां स्वीकार कर ली तथा दो मामलों में अस्वीकार कर दी और बताया कि शेष 13 मामलों में मामलों पर जांच चल रही है। अब तक ₹ 61.23 लाख की वसूली सूचित की गई थी।

सेवाओं के आयात पर भुगतान न किए जाने के कुछ मामलों का वर्णन नीचे किया जा रहा है:

सेवा कर नियमावली, 1994 के नियम 2(1)(डी)(जी) और अधिसूचना सं. 30/2012-एसटी दिनांक 20 जून 2012 के साथ पठित वित्त अधिनियम 1994 की धारा 66बी निर्धारित करती है कि गैर करयोग्य क्षेत्र में स्थित व्यक्ति से कर योग्य क्षेत्र में व्यक्ति द्वारा प्राप्त किसी भी कर योग्य सेवा पर सेवाओं का प्राप्तकर्ता सेवा कर के भुगतान के लिए दायी होगा।

**2.7.2.1** पुणे एसटी कमिश्नरी में मै. सीड इंफोटेक प्रा. लि. ने सेवाओं जैसे प्रोफेशनल सेवा, सदस्यता और सब्सक्रिप्शन, परीक्षा शुल्क, वेबसाइट सेवा आदि के आयात के भाग पर सेवा कर का भुगतान नहीं किया था, परिणामस्वरूप ₹ 86.46 लाख के सेवा कर का कम भुगतान हुआ जो लागू ब्याज के साथ वसूली योग्य था।

जब हमने इस बारे में बताया (फरवरी 2017) तो कमिश्नरी ने बताया (अप्रैल 2017) कि सीएजी लेखापरीक्षा आपत्ति के अनुसरण में निर्धारिती ने ₹ 24.50

लाख के बकाया सेवा कर का भुगतान (मार्च 2017) कर दिया और शेष प्राप्ियों का भुगतान भी शीघ्र कर दिया जाएगा।

मंत्रालय ने उत्तर दिया (अक्टूबर 2017) कि कमिशनरी ने लेखापरीक्षा आपत्ति को अस्वीकार कर दिया, जो कि सही नहीं था, क्योंकि कमिशनरी ने न केवल लेखापरीक्षा आपत्ति को स्वीकार किया बल्कि वसूली हेतु कार्रवाई भी आरंभ कर दी थी।

**2.7.2.2** बेंगलुरु एसटी-1। कमिशनरी में, मै. मरकरी गोल्डमैन (इंडिया) प्रा. लि. सीटीसी सेवाएं उपलब्ध कराते हुए कोर्स सामग्री के विकास में सहायता, व्यवसाय आगे बढ़ाने के लिए परामर्श, आईपीआर प्रयोग, लाइसेंस प्रयोग आदि के रूप में अपने सहयोगी/सहयोगी इंटरप्राइजेज /समूह कम्पनियों से सेवाएं प्राप्त की। यह देखा गया कि निर्धारिती ने यात्रा लाइसेंस शुल्क के भुगतान, बिक्री कमीशन, कोर्स के लिए निर्धारिती द्वारा प्रदत्त विकसित /विशिष्ट रूप से निर्मित कोर्स सामग्री प्राप्त करने के लिए निर्धारिती ने विदेशी मुद्रा व्यय किया। चूंकि निर्धारिती द्वारा प्राप्त सेवाएं करयोग्य प्रकृति की थी और गैर करयोग्य क्षेत्र से प्रदान की गईं और कर योग्य क्षेत्र में प्राप्त की गईं थी, इसलिए प्रति प्रभार के अन्तर्गत निर्धारिती की ओर इस पर सेवा कर देय था। कुल सेवा कर की गणना ₹ 13.40 लाख की गई।

जब हमने इस बारे में बताया (दिसंबर 2016) तब मंत्रालय ने बताया (अक्टूबर 2017) कि यह मामला जांच के अधीन है।

**2.7.2.3** दिल्ली एसटी-1। कमिशनरी में पांच निर्धारितियों के वार्षिक लेखे और अन्य संबंधित दस्तावेजों की जांच करते समय, हमने देखा कि भारत से बाहर स्थित सेवा प्रदाताओं से संवाएं प्राप्त करने के बदले इन निर्धारितियों ने विदेशी मुद्रा में व्यय किया। चूंकि निर्धारिती भारत में स्थित थे, इसलिए इन निर्धारितियों को भारत से बाहर (सेवाओं का आयात) से प्राप्त सेवाओं पर किए गये व्यय पर सेवा कर का भुगतान करना आवश्यक था, तथापि, इन निर्धारितियों द्वारा ₹ 1.24 करोड़ के सेवा कर का भुगतान नहीं किया गया था।

जब हमने इस बारे में बताया (नवम्बर 2016 और फरवरी 2017 के मध्य) तो तीन निर्धारितियों ने लेखापरीक्षा आपत्ति स्वीकार कर ली और ब्याज सहित ₹ 21.40 लाख का सेवा कर जमा करवा दिया। मंत्रालय ने एक मामले में लेखापरीक्षा आपत्ति (अक्टूबर 2017) स्वीकार की और बताया कि चार मामलों में मामला जांच के अधीन है।

**2.7.2.4 मुम्बई एसटी-V** कमिश्नरी में, मै. विल्हेमसन शिप मैनेजमेंट प्रा; लि. ने कोर्स प्रशासन लागत, कनेक्टिविटी और कम्युनिकेशन प्रभार प्रशिक्षण खर्चों और सदस्यता तथा अंशदान प्रभारों जैसी सेवाओं के आयात के लिए ₹ 1.51 करोड़ का भुगतान विदेशी मुद्रा में किया। तथापि, जैसा कि एसटी-3 विवरणियां में देखा जा सकता है निर्धारिती ने इन सेवाओं के आयात के लिए प्रति प्रभार प्रणाली के अंतर्गत सेवा कर का भुगतान नहीं किया था। ऐसा करने की चूक के परिणामस्वरूप ब्याज सहित ₹ 16.75 लाख के सेवा कर का कम उदग्रहण/भुगतान नहीं हुआ।

जब हमने इस बारे में बताया (अप्रैल 2017<sup>37</sup>) तो मंत्रालय ने लेखापरीक्षा आपत्ति को अस्वीकार कर दिया और बताया (अक्टूबर 2017) कि ये सेवाएं भारत के बाहर प्राप्त की गईं और इस प्रकार इन पर सेवा कर देय नहीं था।

मंत्रालय का केवल कनेक्टिविटी और कम्युनिकेशन प्रभार के अतिरिक्त सभी सेवाओं के लिये जवाब स्वीकार्य है जिस पर निर्धारिती ने ₹ 1.14 करोड़ व्यय किये थे। इस राशि में मैरीटाईम परिचालन के लिए प्रयुक्त सॉफ्टवेयर संबंधी खरीद के लिए सब्सक्रिप्शन शुल्क के रूप में विल्हेमसन समुह द्वारा भुगतान की गई कुल कीमत में से निर्धारिती को प्रभारित भाग को दर्शाया। इस प्रकार निर्धारिती द्वारा भुगतान की गई राशि उसके द्वारा उपभोग की गई सेवा का मूल्य दर्शाती है। अतः ये सेवाएं निर्धारिती द्वारा भारत में प्राप्त की गईं और इन पर सेवा कर देय था।

---

<sup>37</sup> रिकॉर्डों की उपलब्धता में देरी के कारण लेखापरीक्षा को अप्रैल 2017 तक आगे बढ़ाया गया।

### 2.7.3 सेनवैट क्रेडिट की अनियमित प्राप्ति/उपयोग

सेनवैट क्रेडिट नियमावली, 2004 के नियम 6(3) के अनुसार, सेवा प्रदाता, जो दोनो करयोग्य और छूट प्राप्त सेवाएं प्रदान करता है, को इनपुट/सेवाओं की प्राप्ति और प्रयोग के लिए अलग अलग लेखा बनाने चाहिए। अलग-अलग लेखा नहीं बनाने वाला सेवा प्रदाता, उसके पास सभी इनपुट/इनपुट सेवाओं पर पूर्ण सेनवैट प्राप्त करने का विकल्प है, इस पर बिना विचार किए ही क्या वे करयोग्य या छूट प्राप्त आउटपुट सेवा से संबंधित है और तब छूटप्राप्त आउटपुट सेवाओं से संबंधित सेनवैट क्रेडिट का आनुपातिक प्रति किया जाए। निर्धारिती को इस विकल्प का प्रयोग करने की अपनी इच्छा की सूचना क्षेत्राधिकारी अधीक्षक को देनी चाहिए। नियम 6(3ए)(बी) मासिक आधार और वार्षिक आधार पर अंतिम प्रति पर छूट प्राप्त वस्तुओं और सेवाओं के संबंध में प्राप्त सेनवैट क्रेडिट के अस्थायी प्रति का प्रावधान करता है। अस्थायी प्रति पिछले वित्त वर्ष के आंकड़ों के आधार पर किया जाना है।

निर्धारितियों के रिकॉर्डों की विस्तृत जांच के दौरान हमें सेनवैट क्रेडिट के गलत प्राप्त करने सेनवैट क्रेडिट नियमावली, 2004 के नियम 6(3) के अन्तर्गत राशि का भुगतान न करने आदि के ₹ 10.55 करोड़ के राजस्व वाले 47 मामले देखे जो लागू ब्याज सहित वसूली योग्य थे। मंत्रालय ने 10 मामलों में लेखापरीक्षा आपत्ति स्वीकार कर ली और बताया कि 37 मामलों में जांच चल रही थी। अब तक ₹ 1.30 करोड़ की वसूली की जा चुकी है।

कुछ मामलो का वर्णन नीचे किया जा रहा है:

**2.7.3.1** हैदराबाद एसटी कमिश्नरी में मै. टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड की एसटी-3 विवरणियां की संवीक्षा से पता चला कि निर्धारिती ने विव15 से विव16 की अवधि के लिए छूट प्राप्त सेवाओं में या के प्रावधानो के संबंध में इनपुट और इनपुट सेवाओं से संबंधित सेनवैट क्रेडिट के समान राशि के भुगतान करने के विकल्प का चयन किया। तदनुसार एसटी-3 विवरणियां में प्रति के लिए देय राशि प्रस्तुत की गई थी लेकिन यह राशि सेनवैट रजिस्टर में से डेविट नहीं की गई थी। इसके परिणामस्वरूप ₹ 3.90 करोड़ की राशि का भुगतान नहीं हुआ/कम हुआ।



जब हमने इस बारे में बताया (मार्च 2017) तब मंत्रालय ने बताया (अक्टूबर 2017) कि जीएसटी के मद्देनजर पुर्नसंरचना के कारण, निर्धारिती का अधिकार क्षेत्र बदल गया और उसके सही अधिकार क्षेत्र की पहचान करने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं।

**2.7.3.2 मुम्बई एसटी-VI** कमिश्नरी में मै. व्हिशलिंग वुड्स इंटरनेशनल लिमि. मनोरंजन क्षेत्र के फील्ड में व्यावसायिक प्रशिक्षण उपलब्ध कराने के लिए पंजीकृत था जो करयोग्य थीं, इसके अतिरिक्त मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयों जैसे टीआईएसएस (टाटा इंस्टिट्यूट ऑफ सोशल साइंस) की ओर से छात्रों को प्रशिक्षण प्रदान करना, एक छूट प्राप्त सेवा है। निर्धारिती ने सामान्य सेवाओं नामतः प्रोफेशनल शुल्क, सुरक्षा सेवा आदि पर सेनवैट क्रेडिट प्राप्त किया और उसका उपयोग सेवा कर देनदारी पूर्ण करने के लिए किया। चूंकि निर्धारिती करयोग्य और छूटप्राप्त दोनों सेवाएं प्रदान कर रहा था, और कोई पृथक लेखा नहीं बनाए गए इसलिए विव14 से विव16 के लिए ब्याज सहित ₹ 91.26 लाख के आनुपातिक सेनवैट क्रेडिट का प्रति किया जाना अपेक्षित था।

जब हमने इस बारे में बताया (फरवरी 2017) तो निर्धारिती ने ₹ 12.82 लाख की राशि नकद भुगतान कर दिया और ₹ 78.44 लाख की शेष राशि का प्रति/वसूली अभी होनी है। मंत्रालय ने बताया (अक्टूबर 2017) कि जीएसटी के मद्देनजर पुर्नसंरचना के कारण, निर्धारिती का अधिकार क्षेत्र बदल गया था और सही क्षेत्राधिकार पता करने के प्रयास किए जा रहे।

**2.7.3.3 सेनवैट क्रेडिट नियमावली, 2004 के नियम 2(आई) के अपवाद खंड (सी) के अनुसार** आउटडोर क्रेडिटिंग, यदि प्राथमिक रूप से किसी व्यक्ति या किसी कर्मचारी द्वारा उपभोग की जाती है, तो यह इनपुट सेवा नहीं है।

अहमदाबाद एसटी कमिश्नरी में हमने देखा कि मै. इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, अहमदाबाद ने विव16 के दौरान आउटडोर क्रेडिटिंग जो उसके छात्रों, कर्मचारियों और अन्य मेहमानों द्वारा उपभोग की गई थी, पर ₹ 74.89 लाख का सेनवैट क्रेडिट प्राप्त किया। गलत प्रकार लिया गया सेनवैट क्रेडिट ब्याज सहित वसूल किया जाना अपेक्षित था।

जब हमने इस बारे में बताया (फरवरी 2017) मंत्रालय ने बताया (अक्टूबर 2017) कि शीघ्र ही एससीएन जारी किया जाएगा।

#### **2.7.4 सीटीसी निर्धारितियों द्वारा अन्य सेवाओं पर सेवा कर का भुगतान न किया जाना/कम भुगतान**

व्यवसायिक कोचिंग और प्रशिक्षण केंद्रों में संलग्न निर्धारितियों के रिकॉर्डों की विस्तृत जांच करने पर ₹ 48.24 करोड़ के राजस्व सहित जो लागू ब्याज सहित वसूली योग्य था, वाले विभिन्न करयोग्य सेवाओं (सीटीसी के अतिरिक्त) के अन्तर्गत सेवा कर के भुगतान न किए जाने के 45 मामले हमने देखे। मंत्रालय ने दो मामलों में लेखापरीक्षा आपत्ति स्वीकार कर ली, नौ मामलों में लेखापरीक्षा आपत्ति अस्वीकार कर दी और बताया कि शेष 34 मामलों में जांच चल रही है। अब तक ₹ 6.56 लाख की वसूली सूचित की गई थी।

कुछ मामलों का वर्णन नीचे किया जा रहा है:

##### **2.7.4.1 आईटी परियोजना हेतु प्राप्त अनुदानों पर सेवा कर का भुगतान न किया जाना**

सेवा कर (मूल्यनिर्धारण) नियमावली, 2006 के नियम 6(2)(vii) के अनुसार, करयोग्य सेवा के मूल्य सरकार द्वारा संवितरित सब्सिडी और अनुदान की राशि को शामिल नहीं करता है और न ही सेवा के मूल्य को प्रत्यक्ष रूप से प्रभारित करता है। इस प्रकार यह कहा जा सकता है कि यदि सरकार से प्राप्त सब्सिडी और अनुदान सेवा के मूल्य को प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करते हैं तो यह सेवा कर के अध्यक्षीन होंगे।

सेवा कर कमिश्नरी पूणे में मै. सेंटर फॉर डेवलेपमेंट ऑफ एडवांस कम्प्यूटिंग (सी-डैक) ने सॉफ्टवेयर प्रोग्रामों के विकास सूचना प्रौद्योगिकी के जागरूकता कार्यक्रम और बौद्धिक संपदा आदि जैसी विभिन्न परियोजनाओं/कार्यों के (डाईटी) निष्पादन के लिए सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के साथ एक समझौता किया जिसके लिए डाईटी ने अनुदान जारी किए थे। चूंकि ये अनुदान सीडैक द्वारा प्रदत्त सेवाओं से प्रत्यक्ष रूप से जुड़े थे, अतः वे उपर्युक्त नियमानुसार सेवा कर योग्य हैं। लेकिन लेखापरीक्षा ने देखा कि विव14 से विव16 के

दौरान निर्धारिती द्वारा प्राप्त ₹ 241.42 करोड़ के अनुदानों के प्रति ब्याज सहित ₹ 45.65 करोड़ का सेवा कर लगाया नहीं गया था।

जब हमने इस बारे में बताया (फरवरी 2017) तो मंत्रालय ने लेखापरीक्षा आपत्ति स्वीकार नहीं की और बताया (अक्टूबर 2017) कि समाज के विभिन्न वर्गों के लिए कल्याण योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए सरकार से प्राप्त अनुदान करयोग्य सेवा नहीं थी और अतः सेवा कर के योग्य नहीं थी।

मंत्रालय का उत्तर मान्य नहीं था क्योंकि नियम में सेवा के उद्देश्य पर आधारित किसी विभेद का प्रावधान नहीं किया गया।

#### 2.7.4.2 घोषित सेवा पर सेवा कर का भुगतान न करना

किसी कार्य से अलग होने की बाध्यता पर राजी होने या किसी कार्य या परिस्थिति को सहन करने या किसी कार्य करने को यथा संशोधित वित्त अधिनियम 1994 की धारा 66ई के अन्तर्गत घोषित सेवा के रूप में विशिष्ट रूप से सूचीबद्ध किए गए हैं।

अहमदाबाद एसटी कमिश्नरी में हमने देखा कि एक राज्य निजी विश्वविद्यालय<sup>38</sup> के रूप में स्थापित अहमदाबाद शिक्षा समिति (ईईएस) द्वारा प्रोन्नत विधि द्वारा मान्यता प्राप्त डिग्री, डिप्लोमा और प्रमाणपत्र प्रदान करता है।

एयू और ईईएस ने मै. युनिकैम लेबोरेट्रीज लिमि. (यूएलएल) के साथ एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) किया, जिसके अनुसार, यूएलएल चरणों में ₹ 15 करोड़ देगा वशर्ते एयू तथा ईईएस अतिरिक्त सदस्यों की नियुक्ति और डीन के चयन में यूएलएल के प्रतिनिधियों को शामिल करने जैसे अधिकार यूएलएल को प्रदान करेंगे। इस समझौते ने एयू पर दानकर्ता के सुझाव के अनुसार स्कूल प्रबंधन का नाम रखने उसका नाम सभी कार्यक्रमों /कार्यकलापों /सांविधिक प्रचार सामग्री आदि में प्रकाशित करने की बाध्यता भी डाल दी। विव14 से विव16 के दौरान निर्धारिती को यूएलएल से ₹ 7 करोड़ की राशि प्राप्त हुई। चूंकि इस लेनदेन में उपर तथा स्पष्ट विशेष कार्य करने की

<sup>38</sup> गुजरात निजी विश्वविद्यालय अधिनियम, 2009 की धारा 8 के अन्तर्गत पंजीकृत

बाध्यता शामिल थी, अतः यह घोषित सेवा की परिधि के अन्तर्गत आयेगा, जिस पर ₹90.80 लाख का सेवा कर लागू ब्याज के साथ वसूली योग्य था।

इसके अतिरिक्त एयू और स्टेनफोर्ड यूनिवर्सिटी में सेंटर फॉर डिजाइन रिसर्च अहमदाबाद में उन्नतिशील व्यवसाय डिजाइन के लिए वेंचर स्टूडियो के नाम से एक केन्द्र स्थापित करने को सहमत हो गए। वार्षिक आवर्तक लागत की पूर्ति के लिए, एयू ने मुंबई स्थित चार दानकर्ताओं<sup>39</sup> के साथ एक समझौता ज्ञापन किया जिसके द्वारा इन पार्टियों ने वेंचर स्टूडियो के आरम्भ होने से अगले पांच वर्षों तक की अवधि के लिए ₹10.60 करोड़ की राशि दान करने की इच्छा व्यक्त की, जो कि इन सभी में बराबर-बराबर विभाजित होगी। उपरोक्त दान पर विचार करते हुए, समझौता ज्ञापन ने एयू/वेंचर स्टूडियो को (क) दानकर्ताओं का नाम वार्षिक रिपोर्ट और वेंचर स्टूडियो के प्राकशनों में समुचित प्रकार से प्रकाशित/मान्यता प्रदान करने; (ख) उद्यम इक्विटी (अर्थात् बिना कोई नया मौद्रिक भुगतान किये) के रूप में समान अनुपात में दानकर्ताओं को उत्पादों या सेवाओं के वाणिज्यिक लोकापण पर वेंचर के इक्विटी पूंजी के 33.33 प्रतिशत पूंजी शेयर उपलब्ध कराना, (ग) सलाहकार मंडल और प्रबंधन समिति में दो सदस्यों को नामांकित करने का अधिकार दानकर्ताओं को देने की बाध्यता आ गई। लेखापरीक्षा ने देखा कि विव14 से विव16 के दौरान, निर्धारित को दानकर्ताओं से ₹5.62 करोड़ की राशि प्राप्त हुई। धारा 66ई के अन्तर्गत घोषित एक सेवा, जिस पर ₹73.04 लाख का सेवा कर लागू ब्याज के साथ वसूली योग्य था।

जब हमने इस बारे में बताया (जनवरी 2017) तब मंत्रालय ने बताया (अक्टूबर 2017) कि एससीएन शीघ्र ही जारी किया जाएगा।

#### **2.7.4.3 मध्यवर्ती सेवाओं के प्रावधान के लिए प्राप्त कमिशन पर सेवा कर का भुगतान न किया जाना।**

‘सेवा के प्रावधान के स्थान, नियमावली 2012 के नियम 9 (सी) के अनुसार मध्यवर्ती सेवाओं के लिए सेवा के प्रावधान का स्थान सेवा प्रदाता का स्थान होगा। इसके अतिरिक्त, उक्त नियमावली के नियम 2 (एफ) के अनुसार,

<sup>39</sup> मै. जे.एम फाईनेशियल ग्रुप, मै. ईनाम ग्रुप, मै. असितकोटिका फाउंडेशन, तथजा मै. दमन एस्टेट एंड फाइनेंस प्रा. लिमिटेड

‘मध्यवर्ती’ का अर्थ एक ब्रोकर, एक एजेंट या कोई अन्य व्यक्ति, चाहे जो भी नाम हो, जो दो या अधिक व्यक्तियों के मध्य सेवा (मुख्य सेवा) के प्रावधान की व्यवस्था या वस्तुओं की आपूर्ति करता है, लेकिन वह व्यक्ति शामिल नहीं होता जो मुख्य सेवा उपलब्ध कराता है या अपने नामे वस्तुओं की आपूर्ति करता है। इसके अतिरिक्त, उक्त नियमावली के नियम 14 के अनुसार, जहां सेवा का प्रावधान, प्रथम दृष्टया, एक से अधिक नियम के अनुसार निश्चय है, वहां इसे नियमों जो समान प्रतिफल अर्जित करता है, के बीच नियम जो बाद में आता है, के अनुसार निश्चित किया जाएगा।

अहमदाबाद एसटी कमिश्नरी में, मै. कैरियर मोसेक प्रा.लि. विदेशी विश्वविद्यालयों के साथ ‘अधिकारिक परामर्शदाता व्यक्ति’ के रूप में पंजीकृत था। समझौते के अनुसार तो निर्धारिती को संबंधित विश्वविद्यालय से कमीशन प्राप्त किया यदि कोई छात्र विश्वविद्यालय में दाखिला लेता है और कम से कम एक टर्म तक पढ़ाई करता है। यह देखा गया कि विदेशी विश्वविद्यालय से प्राप्त ऐसे कमीशन पर उसे ‘सेवा का निर्यात’ मानकर निर्धारिती ने निर्यात लाभ अर्जित किए। यह सेवा वास्तव में ‘मध्यवर्ती सेवा’ थी जिसके लिए सेवाओं के प्रावधान का स्थान सेवा प्रदाता का स्थान अर्थात् उपरोक्त नियम 9(सी) के अंतर्गत यथा निर्धारित निर्धारिती था और करयोग्य था। अतः यह सेवा मध्यवर्ती सेवा थी, जिस पर वि.व 14 से वि.व 16 के दौरान विदेशी विश्वविद्यालयों से कमीशन के रूप में निर्धारिती अर्जित ₹ 7.45 करोड़ की आय पर ₹ 89.32 लाख का सेवा कर देने का दायी था।

जब हमने इस बारे में बताया (जनवरी 2017) तो मंत्रालय ने बताया (अक्टूबर 2017) कि एसीएन शीघ्र ही जारी किया जाएगा।

#### 2.7.4.4 परामर्श सेवाओं पर सेवा कर का भुगतान न किया जाना

वित्त अधिनियम 1994 की धारा 65(92) के अनुसार, वैज्ञानिक या तकनीकी कंसल्टेंसी का अर्थ विज्ञान अथवा प्रौद्योगिकी के एक या अधिक शिक्षण में किसी व्यक्ति को किसी वैज्ञानिक या किसी तकनीकी तन्त्र या विज्ञान या प्रौद्योगिकी संस्थानया संगठन द्वारा किसी तरह या तो प्रत्यक्ष रूप से अथवा अप्रत्यक्ष रूप से दी गई कोई सलाह परामर्श या वैज्ञानिक या तकनीकी सहायता से है।

चेन्नई एसटी-III कमिश्नरी में, मै. भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, मद्रास, (आईआईटी-एम) शिक्षा सेवाओं के अतिरिक्त कंसल्टेंसी सेवाएं, प्लेसमेंट सेवाएं, अतिथि गृह सेवाएं प्रदान कर रहा था। आईआईटी-एम को विव14 से विव16 की अवधि के दौरान विभिन्न परियोजनाओं का दायित्व लेने के लिए सरकारी विभागों और निजी उद्योगों दोनों से अनुदान प्राप्त हुए थे। संस्थान ने इन परियोजनाओं को दो समूहों नामतः (I) कंसल्टेंसी परियोजनाएं और (II) प्रायोजित परियोजनाएं वर्गीकृत किया। आईआईटी-एम कंसल्टेंसी परियोजनाएं जो कि निजी उद्योगों और कॉर्पोरेशन से निधिबद्ध थी, के अन्तर्गत समूहगत परियोजनाओं से संबन्धित आय पर सेवा कर का भुगतान कर रहा था। तथापि, उन्होंने सरकारी विभागों और सरकारी एजेंसियों से निधिबद्ध प्रायोजित परियोजनाओं पर सेवा कर का भुगतान नहीं किया।

हमने इन परियोजनाओं की करदेयता अथवा अन्यथा सुनिश्चित करने के लिए प्रायोजित परियोजनाओं के रूप में वर्गीकृत परियोजनाओं की नमूना जांच की जिन पर आईआईटी-एम द्वारा कोई कर नहीं दिया गया था। इन 12 प्रायोजित परियोजनाओं संबंधी रिकॉर्डों यथा समझौतों स्वीकृति पत्रों आदि की जांच से पता चला कि इन परियोजनाओं के माध्यम से आईआईटी-एम ने या तो निधियन एजेंसी या तीसरी पार्टी को सेवाएं प्रदान की थी। शर्तों और निबंधनों के अनुसार उपर्युक्त वित्तपोषित कार्यक्रमों ने या तो प्रायोजकों को अथवा तीसरी पार्टियों को परियोजनाओं के परिणाम अथवा तकनीकी जानकारी पर प्रतिफल तथा अधिकारों के स्थानान्तरण को अपरिहार्य बना दिया। इस प्रकार ये वित्तपोषित कार्यक्रम सेवा के रूप में अर्हक थे। इसलिए ये 12 परियोजनाएं सेवा कर की दायी थीं।

संस्थान ने विव14 से विव16 की अवधि के दौरान इन परियोजनाओं के प्रति ₹ 23.86 करोड़ की राशि सेवा आय के रूप में प्राप्त की, जिसमें ₹ 2.87 करोड़ की सेवा कर देयता (उपकर आदि सहित) शामिल थी जो लागू ब्याज सहित वसूली योग्य है।

जब हमने इस बारे में बताया (जनवरी 2017) तब मंत्रालय ने बताया (अक्टूबर 2017) कि जीएसटी की पुनर्संरचना के कारण निर्धारिती का

क्षेत्राधिकार बदल गया और उसके सही क्षेत्राधिकार का पता लगाने के लिए प्रयास किए जा रहे थे।

#### 2.7.4.5 व्यय की प्रतिपूर्ति पर सेवा कर का न लगाया जाना/भुगतान न करना

बोर्ड ने वित्त अधिनियम 2015 के माध्यम से स्पष्ट किया कि, वित्त अधिनियम, 1994 में धारा 67 के खंड (ए) की व्याख्या को प्रतिस्थापित करते हुए ऐसी परिस्थितियों के अलावा, और ऐसी शर्तों के अध्ययन जैसा भी निर्धारित हो करयोग्य सेवा उपलब्ध कराने के दौरान या राजी होने पर कोई भी प्रतिपूर्तियोग्य व्यय या सेवा प्रदाता द्वारा व्यय लागत और प्रभार, प्रतिफल में शामिल होते हैं। वित्त अधिनियम, 1994 की धारा 67 के अन्तर्गत व्याख्या में प्रतिस्थापन पहले से ही मौजूद प्रावधानों का स्पष्टीकरण है।

मुम्बई एसटी-V कमिश्नरी में मै. विलहेमसन शिप मैनेजमेंट प्रा. लि. ने विव14 से विव16 के दौरान अपने संबंधित पक्षों से एचएसईक्यू (स्वास्थ्य सुरक्षा, पर्यावरण और गुणवत्ता), वैश्विक सहयोग, प्रशिक्षण, क्रू माईनिंग, और अन्य सेवाएं प्रदान करने के लिए ₹ 18.56 करोड़ की राशि व्ययों की प्रतिपूर्ति के लिए प्राप्त की। चूंकि व्ययों की प्रतिपूर्ति सेवाएं प्रदान करने के लिए व्यय की गई लागत की प्रतिपूर्ति ही थी। इसलिए उस पर सेवा कर लगाया जाना था। तथापि, ऐसा नहीं किया गया। उपर्युक्त व्ययों की प्रतिपूर्ति पर सेवा कर लगाने और भुगतान करने में चूक के परिणामस्वरूप ब्याज सहित ₹ 3.61 करोड़ अनुमानित के कम सेवा कर का कम भुगतान हुआ था। प्रतिपूर्ति के विवरणों के अभाव में सही कर प्रभाव का परिकलित नहीं किया जा सका।

जब हमने इस बारे में बताया (अप्रैल 2017<sup>40</sup>) तब मंत्रालय ने लेखापरीक्षा आपत्ति (अक्टूबर 2017) को अस्वीकार कर दिया और बताया कि यह राशि भारत से बाहर प्रदान की गई सेवा से संबंधित है और इसलिए इस पर कोई सेवा कर देय नहीं है।

<sup>40</sup> अभिलेख प्रस्तुत करने में देरी के कारण लेखापरीक्षा को अप्रैल 2017 तक आगे बढ़ाना पड़ा

क्रू माइनिंग सेवा जिसके प्रति निर्धारिती को ₹ 15.15 करोड़ प्राप्त हुए थे, के अतिरिक्त सभी सेवाओं के संबंध में मंत्रालय का उत्तर स्वीकार्य था। इन सेवाओं में कर्मिदल के चयन और भर्ती/भर्ती प्रक्रिया में सहायता प्रदान करना सहित नौकरी से पूर्व साक्षात्कार और संदर्भ जांच, चिकित्सीय जांच पास किया जाना सुनिश्चित करना, कर्मिदल के रिकार्डों का रखरखाव आदि शामिल था, जो स्पष्ट रूप से श्रमबल भर्ती सेवा/ व्यवसाय सहायता सेवा की परिधि में आता है और केवल भारत में ही प्रदान किया गया था।

#### 2.7.4.6 सेवा नियमों के प्रावधान के स्थान का अननुपालन

सेवा नियमों के प्रावधान के स्थान नियमावली, 2012 के नियम 9(बी) के अनुसार ऑनलाईन इंफॉर्मेशन एंड डाटाबेस एक्सेस अथवा रीट्रिवल सर्विसेस के मामले में सेवा के प्रावधान का स्थान सेवा प्रदाता का स्थान होगा। वित्त अधिनियम, 1994 की धारा 67(2) के अनुसार, जहां प्रदान की गई या प्रदान की जाने वाली सेवा के लिए सेवा प्रदाता द्वारा प्रभारित सकल राशि देय सेवा कर सहित है वहां ऐसी करयोग्य सेवा का मूल्य ऐसी राशि होगी, जो देय कर की वृद्धि के साथ प्रभारित सकल राशि के समान हो। इसके अतिरिक्त सेवा प्रदाता को सेवा कर (मूल्य निर्धारण) नियमावली, 2006 के नियम 5(2) में वर्णित आठ शर्तों के सेट को एक सही एजेंट के रूप में पूर्ण करना होगा और करयोग्य मूल्य से सही एजेंट के रूप में किए गए व्यय को हटा देना होगा।

पुणे एसटी कमिश्नरी में, मै. सीड इंफोटेक प्रा. लि. ने ऑस्ट्रेलिया स्थित प्रोमेट्रिक इंक, मैरीलैंड के साथ अनुमोदित प्राधिकृत प्रोमोट्रिक टेस्टिंग सेंटर के परिचालन के एकल उद्देश्य के लिए परीक्षाएं संचालित करने में प्रयुक्त उनके टेस्टिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर, का उपयोग करने के लिए समझौता किया। निर्धारिती सेवाओं के लिए छात्रों/उम्मीदवारों से शुल्क संग्रहीत करेगा। निर्धारिती के पास दो प्रकार के ग्राहक थे अर्थात कॉरपोरेट ग्राहक और व्यक्तिगत छात्र। निर्धारिती ने केवल कॉरपोरेट ग्राहकों को दिए गए बिलों पर सेवा कर उदग्रहीत किया जबकि अपने आप को प्योर एजेंट के रूप में मानकर सेवा कर उदग्रहीत किए बिना छात्रों के बिल जारी किए। निर्धारिती ने एक ही मामले में दो अलग रूख अपनाएं अर्थात एक कॉरपोरेट ग्राहकों के लिए और दूसरा नियमित व्यक्तिगत छात्रों के लिए। चूंकि व्यक्तिगत छात्रों की इस श्रेणी



के बिलों में सेवा कर अलग से नहीं लगाया गया था, इसलिए इससे यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि विव14 से विव16 के बीच ₹ 6.32 करोड़ की प्राप्तियों में सेवा कर शामिल था और निर्धारिती ब्याज सहित ₹ 1.19 करोड़ के सेवा कर के भुगतान हेतु दायी था।

जब हमने इस बारे में बताया (फरवरी 2017) तो मंत्रालय ने लेखापरीक्षा आपत्ति अस्वीकार कर दी और बताया (अक्टूबर 2017) कि निर्धारिती ने भारत में अपनी सेवाओं के प्रचार के लिए प्योर एजेंट के रूप में कॉरपोरेट ग्राहकों को सेवाएं प्रदान की क्योंकि उन्होंने प्रमोट्रिक के लिए और उनकी ओर से परीक्षा संचालित की और प्रमोट्रिक की ओर से शुल्क एकत्रित की और प्रमोट्रिक को प्रेषित की। इस प्रकार वे भारतीय छात्रों के साथ-साथ कॉरपोरेट ग्राहकों से प्राप्त शुल्क पर सेवा कर के भुगतान के लिए दायी नहीं थे, लेकिन फिर भी अनजाने में उन्होंने कॉरपोरेट ग्राहकों से उदग्रहित बिलों पर सेवा कर का भुगतान किया।

निर्धारिती उक्त उद्धरित नियम 5(2) में निर्धारित सभी निबंधनों को नहीं कर रहा था, क्योंकि सेवा प्राप्तकर्ता की ओर से तीसरे पक्ष को कोई भुगतान नहीं किया गया और इसके विपरित सेवा प्रदाता तीसरे पक्षों से भुगतान अर्थात सेवा प्राप्तकर्ता की ओर से छात्रों से शुल्क एकत्रित कर रहा था। सेवा प्राप्तकर्ता की ओर से तीसरे पक्षों से कोई सेवा प्राप्त नहीं की गई थी। तीसरे पक्षों को किए गए भुगतानों के लिए जारी बीजकों में न तो कोई अलग से संकेत दिया गया और नहीं तीसरे पक्षों से सेवाएं प्राप्त करने के लिए सेवा प्राप्तकर्ता द्वारा व्यय की गई वास्तविक लागत की वसूली निर्धारिती द्वारा की गई। अतः सेवा प्रदाता सेवा प्राप्तकर्ता के प्योर एजेंट के रूप में कार्य नहीं कर रहा था। इस प्रकार मंत्रालय का प्रतिवाद कि निर्धारिती प्योर एजेंट के रूप में कार्य कर रहा था, स्वीकार नहीं किया जा सकता। इसके अतिरिक्त, कॉरपोरेट ग्राहकों पर अनजाने में भरे गए सेवा कर के भुगतान संबंधी मंत्रालय का उत्तर स्वीकार नहीं था क्योंकि निर्धारिती इन प्राप्तियों पर सेवा कर का भुगतान कर रहा था।

### 2.7.5 ब्याज का भुगतान न करना/कम करना

वित्त अधिनियम, 1994 (यथा संशोधित) की धारा 75 यह कहती है कि प्रत्येक व्यक्ति, उक्त अधिनियम की धारा 68 के प्रावधानों या इसके अंतर्गत बनाये गए नियमों के अनुसार कर का भुगतान करने का दायी है, जो निर्धारित अवधि में केन्द्र सरकार के खाते में कर या उसका भाग क्रेडिट करने में असफल रहता है, ऐसे कर या उसके किसी भाग के क्रेडिट होने में हुए विलंब की अवधि के लिए उसे निर्धारित दर (छह माह तक 18 प्रतिशत की दर से दह माह से एक वर्ष तक 24 प्रतिशत की दर से और एक वर्ष से अधिक के लिए 30 प्रतिशत की दर से) पर भुगतान करना होगा।

निर्धारितियों के रिकॉर्डों की विस्तृत जांच के दौरान हमने ₹ 82 लाख के मौद्रिक मूल्य के सेवा कर के विलंबित भुगतानों पर ब्याज का भुगतान नहीं करने/कम किए जाने के 14 मामले देखे। लेखापरीक्षा आपत्तियों के आधार पर तीन निर्धारितियों ने ₹ 8.18 लाख का भुगतान किया। मंत्रालय ने बताया (अक्टूबर 2017) कि मामला जांच के अधीन था।

एक मामले का वर्णन निम्नानुसार है:

अहमदाबाद कमिश्नरी में हमने देखा कि, मै. एन्डेवर कैरीयर्स प्रा. लि. ने सेवा कर के विलम्बित भुगतान पर ₹ 42.85 लाख के ब्याज का कम भुगतान किया।

जब हमने इस बारे में बताया (दिसम्बर 2016) तब मंत्रालय ने बताया (अक्टूबर 2017) कि जीएसटी की पुनसंरचना के मद्देनजर निर्धारितों का क्षेत्राधिकार बदल गया और उसके सही क्षेत्राधिकार का पता लगाने के प्रयास किए जा रहे थे।

### 2.8 निष्कर्ष

सीटीसी क्षेत्र बहुत तेजी से बढ़ रहा है लेकिन जैसा कि लेखापरीक्षा के दौरान देखा गया, कराधार को बढ़ाने के लिए विभाग के प्रयास अपर्याप्त थे। लेखापरीक्षा द्वारा स्वतंत्र प्रमाणन से यह साक्ष्यांकित होता है कि इसके कारण राजस्व हानि की संभावना है। विवरणियों की संवीक्षा के संबंध में विभाग का प्रदर्शन भी कमतर पाया गया था। जैसा कि निर्धारितियों के अभिलेखों की

जांच के दौरान देखा गया। छूटों के गलत दावे, सेनवैट क्रेडिट के अनियमित उपयोग और करयोग्य सेवाओं पर सेवा कर के छिपाव की गुंजाइश छोड़ते हुए कर योग्य तथा कर-मुक्त सेवाओं के बीच कोई स्पष्ट सीमांकन नहीं था। सेवाओं के आयात के मामले में प्रति प्रभार तन्त्र के अन्तर्गत सेवा कर का भुगतान न करना भी देखा गया था। कर योग्य सेवाओं पर सेवा कर से बचाव जैसे कि निर्धारिती के अभिलेखों के निरीक्षण के दौरान देखा गया है। सेवाओं के आयात के मामले में यह भी देखा गया कि प्रति प्रभार तंत्र के अन्तर्गत सेवा कर का भुगतान नहीं हुआ था।

